न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– प्रकाश राजपुरोहित (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10 / 2023

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर– 1,274 गुरू जम्बेश्वर नगर, गांधीपथ, वैशालीनगर जयपुर

(प्रार्थी वितीय संस्था)

बनाम

श्री पुरूषोतम पुत्र श्री लक्ष्मण राम (ऋणी)

पता – एफ–3 बी–22 सुशीलपुरा सोडाला सरकारी स्कूल के पास न्यू सांगानेर रोड जिला जयपुर राजस्थान

पता – एम –16 रिको सॉफटवेयर बिल्डिंग ई.पी.आई.पी. सीतापुरा जयपुर।

(अप्रार्थी)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

निर्णय दिनांक :– **22.5.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी पुरूषोतम पुत्र लक्ष्मण राम को कुल 7,80,000,/– रूपये दिनांक 24.8.2017 को स्वीकृत की गई। उक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी अचल सम्पति आवासीय सम्पति ग्राम कोटजेवर, तहसील, मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू स्थित प्लाट संख्या 67 एवं 68 रॉयल ग्रीन वैली कुल क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज पर प्रार्थी के यहां मोरगेज किया गया।

जिला कलक्टर

दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नही किये जाने से खाते को दिनांक 28.6.2019 को विधिनुसार एनपीए घोषित किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.8.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस को प्रार्थी ने पंजाब केसरी अखबार में दिनांक 08.1.2022 को प्रकाशित करवाया गया। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत पार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

पत्रावली नवगठित जिला दूदू के क्षैत्राधिकार की होने से न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां से इस न्यायालय में प्राप्त होने से पुनः दर्ज रजिस्टर की गई।

वित्तीय संस्था के विद्वान अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपार्थीगण को 7,.80,000/- रूपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु अप्रर्थीगण को दिनांक 02.08.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि भुगतान भी नही किया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 के समर्थन मे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी पुरूषोतम पुत्र लक्षमण राम (ऋणी) की बधंक सम्पति आवासीय सम्पति ग्राम कोटजेवर, तहसील, मौजमाबाद जिला जयपुर हाल जिला दूदू स्थित प्लाट संख्या 67 एवं 68 रॉयल ग्रीन वैली कुल क्षैत्रफल 222.22 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक दूदू को प्रेषित कर लिखा जावे कि उक्त सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबंद करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को सरे इजलास सुनाया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
दूदू

जिला कलक्टर
दूदू (राज०)

Scanned with OKEN Scanner